

आज दिनांक 16.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता क्रमशः 1 – संजय पुत्र बसंत निवासी तेनुहारी दोयम 2 – अखिलेश पुत्र विजय कुमार निवासी गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को भाटपार रिंग रोड़ के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 484 / 2021 व 485 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0कां0 कोमल प्रसाद, हे0कां0 मुरली मनोहर, हे0कां0 अरुण कुमार, हे0कां0 रामरतन तिवारी ।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1750 रुपये नकद व ताश के 52 पत्तों के साथ 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – मो0 हसीद पुत्र मो0 सब्बीर निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा 2- हमीद उल्लाह पुत्र मो0 युनुस निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा 3 – परवेज आलम पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी सई बुजुर्ग थाना बखिरा 4 – रवि पुत्र स्व0 मोहन निवासी बखीरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 950 रुपये मालफड़, 800 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 198 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- का0 मनीष कुमार यादव, का0 मुन्ने लाल गुप्ता, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, का0 मंजीत यादव ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 23 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत तामेश्वरनाथ से इवेन्ट संख्या 02347 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति(हरिओम मौर्य पुत्र श्री बाबूलाल मौर्या ग्राम कटाई थाना कोतवाली खलीलाबाद) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 07 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 विशेश्वर प्रसाद, आ0 विरेन्द्र यादव, कां0चा0 सर्वेश मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनो से 70500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनो से 70500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक

16-07-2021

**युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,
अपहृता बरामद**

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वादी दिवस पर गुमशुदा / अपहृत किशोरियों / बच्चों व महिलाओं को बरामद किये जाने हेतु विवेचकों को दिए गये निर्देश के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 200 / 2020 धारा 363 / 366 भा0द0वि0 मे वाँछित अभियुक्त नाम पता रामकेवल शर्मा पुत्र साधूशरण शर्मा

निवासी गोपालपुर थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद भी बरामद किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.09.2020 को अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । आज दिनांक 16.07.2021 को अपहृता को बरामद करते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री विजय कुमार यादव, का० मनीष कुमार, म०का० सुमन यादव ।